दिनांक- 12.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 01 वांछि अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 11.07.2025 को वादी श्री विशाल कुमार पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 चौधरियान होली चौक कस्बा व थाना नकुड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मोहित पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 चौधरियान होली चौक कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा अपने बड़े भाई की आंखो में मिर्च डालकर जान से मारने की नियत से लगातार चाकू से वार कर घायल कर देने के संबंध में थाना नकुड़ पर **मु0अ0स0 228/25 धारा 109(1) भा0न्या0सं0** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी एंव घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी हेतु दिशा- निर्देश दिए गये।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.07.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **मोहित पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 चौधरियान होली चौक कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम जुड्डी के शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद किया गया। **बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि** की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे बड़े भाई ने सारी प्रापर्टी पर अपना हक जमा रखा है। मेरा बड़ा भाई मुझे कोई खर्चा नही देता था और कभी- कभी मुझे लज्जित करता रहता था। इसी बात से क्रोधित होकर दिनांक 11.07.25 को मैंने अपने खेत पर छुरा व मिर्ची पाऊडर लेकर गया और अपने बड़े भाई को आवज देकर बुलाया। जैसे ही मेरा बड़ा भाई मेरे पास आया तो मैंनि मिर्ची पाउडर उसकी आँखो में डालकर उस पर जान से मारने की नियत से चाकू मार कर घायल कर दिया और वहाँ से भाग गया। फिर मैंने चाकू को धोकर ग्राम जुड्डी में बने शमशान घाट के पास एक पेड की जड में छुपा दिया था जिसे मैंने पुलिस को बरामद करा दिया है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोहित पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 चौधरियान होली चौक कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 चाकू (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 ओमेन्द्र मलिक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 शौकीन खान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. म0उ0नि0 अर्चना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 12.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.07.2025 वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त विशाल पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम लण्ढौरा जुनारदार,थाना बेहट जिला सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को शादी का झाँसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा पीडिता के परिवारीजनो के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 293/25 धारा-115(2)/351(2) /64(2)(m) बीएनएस 5J(2)L/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट प्रयवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **विशाल पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम लण्ढौरा जुनारदार थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को बरौली तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवशयक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता-

विशाल पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम लण्ढौरा जुनारदार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. अति0 निरी0 श्री संजीव शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 1813 कपिल कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक- 12.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मारपीट करने के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.07.2025 को वादी श्री जयपाल पुत्र सुमेर चन्द निवासी ग्राम अलीपुर सम्भालकी (गोल्ली) थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. शाकिब पुत्र मुस्तकिम निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर, 2. फहीम पुत्र फरमान व 3. साद पुत्र दिलशाद निवासीगण फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर तथा 04-05 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के पुत्र सन्दीप सैनी का रास्ता रोककर एक राय होकर जान से मारने की नियत से लाठी-डंडो व लात घुसों से मारपीट कर गाली गलौच करने तथा जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 145/25 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2)/127(2)/109 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष फतेहपुर श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **02 वांछित अभियुक्तगण 1. फहीम पुत्र फरमान निवासी मौ0 फकीरो वाला कलसिया रोड फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 2. साद पुत्र दिलशाद निवासी सरकारी स्कूल वाली गली फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को सीएचसी फतेहपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. फहीम पुत्र फरमान नि0 मौ0 फकीरो वाला कलसिया रोड फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. साद पुत्र दिलशाद नि0 सरकारी स्कूल वाली गली फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. का0 2214 कुमरपाल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 12.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण ,अवैध अस्लह रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आजि दिनांक 12.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 **अभियुक्त 1**. रवि सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ब्रजेश नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर को ब्रजेश नगर मोड पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू बरामद हुआ ।गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 310/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि पुलिस ने जो चाकू मुझसे बरामद किया है उसे मैं आस पास के क्षेत्र के लोगो को डराने व धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

अभियुक्त का नाम व पता -

रवि सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ब्रजेश नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त रवि का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 229/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 49/2023 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 232/20 धारा 188 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

- 01 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. का0 1460 अंकित थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. हो0गा0 1308 राकेश थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांक:12.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोबाइल फोन की झपटमारी/छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित झप्पटामार/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना गया मोबाइल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.07.2025 वादी भूपेन्द्र सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम सिरसली कला थाना बडगांव जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 02.07.2025 को दो अज्ञात व्यक्तियो द्वारा ग्राम सिरसली खुर्द व ग्राम सिरसली कलां के बीच वादी का मोबाइल छीनकर भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बड़गांव पर मु0अ0सं0 125/25 धारा 304(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु टीम गठित की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में चोरी/झपटामारी/लूट/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बड़गांव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए झपटामारी/छिनैती में वांछित **अभियुक्त दीपांशु पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को ग्राम चन्दपुर मजबता नानौता देवबन्द मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से छीना मोबाइल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

दीपांशु पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी (घटना में छीना गया)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3. हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
4. हे0कां0 843 विवेक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
5. हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

दिनांकः 12.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनाक 12.07.2025 को वादी श्री जुलफान पुत्र बाबू हसन निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 1. फुरकान निवासी ग्राम जन्धेडी थाना कैराना जनपद शामली, 2. सादिक पुत्र अफलातून निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर, 3.जुनैद निवासी तीतरवाडा थाना कैराना जनपद शामली, 4.अफसरून पुत्र आलम नि0 ग्राम जन्धेडी थाना कैराना जिला सहारनपुर व तीन-चार व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा मोटरसाइकिलो पर सवार होकर गाली गलौच करते हुए आये और वादी की मां के उपर तमंचे व पिस्टल से जान से मारने की नियत से कई फायर करने जिससे वादी की माँ को जांघ मे गोली लग गयी तथा थोडी दूरी पर खडे समीर की जांघ मे भी गोली लग जाने तथा गोली मारकर गाली गलौच करते हुए धमकी देते हुए व फायर करते हुए मोटरसाइकिलो पर सवार होकर भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 0260/25 धारा 191(2)/191(3)/109/352/351(2) BNS मे पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 12.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये वांछित **अभियुक्त उमर पुत्र हारून निवासी ढाकादेई थाना नानौता जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. उमर पुत्र हारून निवासी ढाकादेई थाना नानौता जिला सहारनपुर उम्र करीब वर्ष 22।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. है0का0 968 अरविन्द धामा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर